

सी.जी.-एम.एच.-अ.-21062023-246702 CG-MH-E-21062023-246702

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 426] No. 426] नई दिल्ली, सोमवार, जून 19, 2023/ज्येष्ठ 29, 1945 NEW DELHI, MONDAY, JUNE 19, 2023/JYAISHTHA 29, 1945

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 19 जून, 2023

- सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/133 बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा यह निर्धारित करता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992 के निम्नलिखित प्रावधान 1 सितम्बर, 2023 से लागू होंगे, अर्थात्:-
 - (i) विनियम 17 का उप-विनियम (1क);
 - (ii) अनुसूची-V के भाग-ख के खंड 3 के उप-खंड (1) की सारणी में दी हुई यह पंक्ति 'केवल सौदा पूरा करवाने वाले प्लेटफॉर्म (एग्ज़िक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म)';
 - (iii) अनुसूची-VI की सारणी-1 में दी हुई यह टिप्पणी 'हालाँकि, परिवर्तनीय शुद्ध-मालियत (वैरिएबल नेटवर्थ) की अपेक्षा 'केवल सौदा पूरा करवाने वाले प्लेटफॉर्म संबंधी खंड' (एग्ज़िक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म सेगमेंट) के प्रति लागू नहीं होगी।';
 - (iv) अनुसूची-VI की सारणी-2 में दी हुई यह पंक्ति 'केवल सौदा पूरा करवाने वाले प्लेटफॉर्म (एग्ज़िक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म)'।

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./206/2023-24]

3887 GI/2023 (1)

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th June, 2023

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/133.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby appoints the 1st day of September, 2023, as the date on which the following provisions of the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992, shall come into force, namely:-

- (i) Sub-regulation (1A) of regulation 17;
- (ii) The row for 'Execution Only Platforms' in the Table of sub-clause (1) of clause 3 of Part B of Schedule V;
- (iii) The remark 'However, the requirement of Variable Networth shall not be applicable for Execution Only Platforms segment' in Table 1 of Schedule VI;
- (iv) The row for 'Execution Only Platforms' in Table 2 of Schedule VI.

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./206/2023-24]